न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–17/2022

राज्य

बनाम्

दिलीप कुमार साव

–: आदेश :–

28/03/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 855/अप0शा0 दिनांक 26.04.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–39/2022 दिनांक–28.02.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा धारा–379/414 भा0द0वि0, धारा–21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, धारा–13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम, धारा–33(ii) कोल माईन्स एक्ट के तहत कांड में जप्त ट्रक रजि0 संख्या–JH13F-6105 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 28.02.2022 को सुबह करीब 04:00 बजे थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली ग्राम आरा में अवैध रूप से कोयला डम्प कर बारह चक्का ट्रक में लोड किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पु0अ0नि0 धिरज कुमार साथ अमरवाडीह पीकेट से सैफ सशस्त्र बल के द्वारा समय करीब 04:30 बजे ग्राम आरा पहुंचन पर देखा कि एक बारह चक्का ट्रक लोड कर चतरा की ओर जा रही है। टॉर्च की रोशनी से रोकने का ईशारा किया, तो ट्रक चालक गाड़ी रोक कर भागने के क्रम में सशस्त्र बल के सहयोग से चालक को घेर कर पकड़ा गया। चालक से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि ट्रक में चोरी का अवैध कोयला लदा है एवं ट्रक का रजि0 नं0–JH13F-6105 तथा मालिक का नाम दिलीप कुमार साव, पिता–झुनु साव, सा0–कोयद, थाना–टंडवा, जिला–चतरा बताया। जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH13F-6105 को सुरक्षार्थ अमरवाडीह पुलिस पिकेट में रखा गया है। इस प्रकार अवैध रूप से कोयला चोरी कर व्यापार/परिवहन

करना एक संज्ञेय अपराध है। उक्त वाहन के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH13F-6105 को एस0आई0 धीरज कुमार बालूमाथ थाना के द्वारा दिनांक 28.02.2022 को लगभग 04:30 बजे आरा गांव के पास पकड़ा गया। उक्त वाहन में लदे कोयले से संबंधित चालक द्वारा कोई कागजता प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर मामला दर्ज किया गया। विपक्षी दिलीप कुमार साव, पिता–झुनु साव, सा0–कोयद, थाना–टंडवा, जिला–चतरा उक्त वाहन के पंजीकृत मालिक है। विपक्षी घटना के समय उपस्थित नहीं थे। विपक्षी ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा ए0बी0ए0 नं0–3325/2022 दिनांक 22.06.2022 में जमानत स्वीकार होने के बाद आदेश के अनुपालन में 50000/– रूपये का नगद सुरक्षा और जमानत बॉण्ड प्रस्तुत किया है। वर्तमान मामला धारा–379/414 भा0द0वि0, धारा–21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, धारा–13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम, धारा–33(ii) कोल माईन्स एक्ट के तहत् दर्ज किया गया है। उपायुक्त, लातेहार एम0एम0डी0आर0 एक्ट की धारा–21(4A) में निहित प्रावधानों में जप्ती की कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकार नहीं हैं। विपक्षी ने उक्त वाहन को मुक्त करने हेतु एम0सी0ए0 संख्या–1319/2022 के माध्यम से न्यायालय सी0जे0एम0, लातेहार में याचिका दायर किया गया। परन्तु दिनांक 21.10.2022 को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके पश्चात् माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P(Cr.) No.-603/2022 द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ याचिका दायर किया गया है। अतः विपक्षी के उक्त वाहन को मुक्त किया जाय।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH13F-6105 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है। अतः ट्रक रजि0 नं0–JH13F-6105 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/01/23

उपायुक्त,
लातेहार।

28/01/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 14:02:27 +05:30
Location: 10.93.47.5